



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266234
CG-DL-E-19092025-266234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4090]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 4090]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4207(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सङ्क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. ४०२३(अ) तारीख १९/०९/२०२४.जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी,द्वारा महाराष्ट्र राज्य अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१ अ के कि.मी. ०/०० से कि.मी. ३/१०० (महान—अकोला भाग) तक के भूखंड बार्फीटाकली बायपास चार लेन पेंड शोल्डर में निर्माण अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपावधि अनुसूची में विर्तिदृष्टि भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन “०२/१०/२०२४” तारीख को “सिटी न्यूज सुपरफास्ट” और “दैनिक भास्कर” में प्रकाशित किया गया था;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विलंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१ अ के कि.मी. ०/०० से कि.मी. ३/१०० (महान—अकोला भाग) खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अकोला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6

तालुक का नाम: बार्शी टाकळी

गांव का नाम: बार्शीटाकळी

1	१०१	निजी	कृषिक	0.02	शेख रशीद शेख मकबुल 101/2
2	१०२/१	निजी	कृषिक	0.41	विवेक सुखानंद पाटणी 102/1
3	१०२/१	निजी	कृषिक	0.23	गुलाम रब्बानी गुलाम नवी 102/2
4	१०२/१	निजी	कृषिक	0.33	सै तन्वीर जमाल सै मीर 102/2 A
5	१०८	निजी	कृषिक	0.07	विजय राजाराम भातखडे 108/1
6	१०८	निजी	कृषिक	0.6	महानंदा किसनराव अंबाडे 108/2
7	११०	निजी	कृषिक	0.05	कमरुज्जमा बदीउज्जमा 110/2 A
8	११०	निजी	कृषिक	0.59	अलीमोदीन अलाओदीन काजी 110/3
9	३०३	निजी	कृषिक	0.4	गंगा माधव आखाडे, रुपाली माधव आखाडे, मनिशा माधव आखाडे वैभव माधव आखाडे 303/1
10	३०३	निजी	कृषिक	0.11	वैभव माधव आखाडे 303/2 Pai

11	३०३	निजी	कृषिक	0.13	रामेश्वर यशवंतराव आखाडे 303/2 Pai
12	३०५	निजी	कृषिक	0.45	संतोष तुलशीराम बोबडे 305/2
13	३०६	निजी	कृषिक	0.45	शहनाज परविन अब्दुल रशीद 306/2
14	३०६	निजी	कृषिक	0.31	साजिदउल्ला खा हवीबउल्ला खा, सारीकउल्ला खा 306/1A
कुल योग				4.15	

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/72/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4207(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 4023(E) dated 19/09/2024, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Barshitakli Bypass Four Lane with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway No. 161 A in the stretch of land Km. 0/00 to km. 3/100 (Mahan-Akola Section) in the district of Akola in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification S.O. 4023(E) dated 19/09/2024, has been published in “**City News Superfast**” and “**Dainik Bhaskar**” Both Dated “**02/10/2024**” ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections filed under section 3-C, Considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling NH 161 A within the stretch of land from Km. 0/00 to Km. 3/100 (Mahan-Akola Section) in the district Akola in the state of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: AKOLA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barshitakli					
Village: BarshiTalkli					
1	101	Private	Agricultural	0.02	Sheikh Rashid Sheikh Maqbul 101/2
2	102/1	Private	Agricultural	0.41	Vivek Sukhanand Patni 102/1
3	102/1	Private	Agricultural	0.23	Gulam Rabbani Gulam Nabi 102/2
4	102/1	Private	Agricultural	0.33	Syd. Tanvir Jamal Syd. Mir 102/2 A
5	108	Private	Agricultural	0.07	Vijay Rajaram Bhatkhade 108/1
6	108	Private	Agricultural	0.6	Mahananda kisanrao Ambade 108/2
7	110	Private	Agricultural	0.05	Kamrujjama Badiujjama 110/2 A
8	110	Private	Agricultural	0.59	Alimoddin Alauddin Kaji 110/3
9	303	Private	Agricultural	0.4	Ganga Madhav Akhade, Rupali Madhav Akhade, Manisha Madhav Akhade Vaibhav Madhav Akhade 303/1
10	303	Private	Agricultural	0.11	Vaibhav Madhav Akhade 303/2 Pai
11	303	Private	Agricultural	0.13	Rameshwar Yashwantrao Akhade 303/2 Pai
12	305	Private	Agricultural	0.45	Santosh Tulshiram Bobade. 305/2

13	306	Private	Agricultural	0.45	Shahnaz Parvin Abdul Rashid 306/2
14	306	Private	Agricultural	0.31	Sajidullah, kha Habibullah, kha Sarikullah kha habibaulla kha 306/1A
Total				4.15	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/72/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director